NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 27-05-2026

विषय सूची

सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल शासन बोर्ड नियम तथा राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम, 2026 अधिसूचित

क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक

डिजिटल युग में भारत के महत्त्वपूर्ण अवसंरचना तंत्र की सुरक्षा

रूपये के अवमूल्यन के कारण

सरकार द्वारा जनांकिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने हेतु समिति का गठन

संक्षिप्त समाचार

अल्गोज़ा(Algoza)

खजुराहो में 25-दिवसीय योग दिवस काउंटडाउन

पूर्ण न्याय: अनुच्छेद 142

अब्राहम समझौते

भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ (IACS) की 150वीं वर्षगांठ

सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल शासन बोर्ड नियम तथा राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम, 2026 अधिसूचित

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026 तथा राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- **उद्देश्य:** खेल प्रशासन को अधिक पारदर्शी, पेशेवर एवं डिजिटल रूप से संगठित बनाना।
- **राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026**:
  - बोर्ड की संरचना, अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तों का प्रावधान।
  - **राष्ट्रीय खेल बोर्ड**: इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्रीय सरकार खोज-एवं-चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल से नियुक्त करेगी।
  - यह बोर्ड राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने तथा शासन, वित्तीय एवं नैतिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाली केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।
- **राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियम, 2026**:
  - न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन-भत्ते, सेवा शर्तें एवं न्यायाधिकरण की शक्तियों का प्रावधान।
  - **समर्पित पोर्टल**: विवादों, नोटिस, प्रत्युत्तर, दस्तावेज़ एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु एक समर्पित पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा।
  - **राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण**: यह देश में खेल-संबंधी विवादों के लिए एक समर्पित न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य दीवानी न्यायालयों पर निर्भरता कम करना तथा स्वतंत्र, त्वरित, प्रभावी एवं किफ़ायती विवाद निपटान सुनिश्चित करना है।
  - न्यायाधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष निश्चित होगा।

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025

- यह अधिनियम राष्ट्रीय खेल संस्थाओं की मान्यता एवं उनके संचालन को विनियमित करने का प्रावधान करता है।
- **राष्ट्रीय खेल शासी संस्थाएँ**: अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, तथा प्रत्येक नामित खेल के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल महासंघ स्थापित किए जाएंगे।
  - इन संस्थाओं को अपने संचालन हेतु समितियाँ गठित करनी होंगी, आचार संहिता लागू करनी होगी, तथा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा।
- **प्रशासनिक संरचना**: प्रत्येक राष्ट्रीय खेल संस्था में एक सामान्य निकाय एवं अधिकतम 15 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति होगी, जिसमें कम से कम दो उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं चार महिलाएँ होंगी।
  - प्रत्येक संस्था में अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष होंगे।
    - नियुक्ति हेतु व्यक्ति को या तो उत्कृष्ट खिलाड़ी होना चाहिए अथवा कार्यकारी समिति का सदस्य दो पूर्ण कार्यकाल तक रह चुका होना चाहिए।
    - कोई भी व्यक्ति इन पदों पर निरंतर तीन कार्यकाल से अधिक नहीं रह सकता।
- **राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB)**: यह राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता प्रदान करेगा एवं उनकी संबद्ध इकाइयों का पंजीकरण करेगा। केवल मान्यता प्राप्त संस्थाएँ ही केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य होंगी।
- **राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण (NST)**: इसमें एक अध्यक्ष होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, तथा दो सदस्य होंगे जिन्हें खेल, लोक प्रशासन एवं विधि का अनुभव होगा।
  - नियुक्तियाँ खोज-एवं-चयन समिति की अनुशंसा पर होंगी।

- न्यायाधिकरण को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
- इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी, सिवाय उन मामलों के जहाँ अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार अपील कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, स्विट्ज़रलैंड में करनी आवश्यक हो।

- **चुनावों की निगरानी**: केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल संस्थाओं के चुनावों की देखरेख हेतु राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारियों का पैनल स्थापित करेगी। प्रत्येक राष्ट्रीय खेल संस्था को अपनी संबद्ध इकाइयों के चुनावों की देखरेख हेतु निर्वाचन पैनल गठित करना होगा।
- **केंद्र सरकार की शक्तियाँ**: केंद्र सरकार किसी राष्ट्रीय संस्था या उसकी संबद्ध इकाइयों को अधिनियम के किसी या सभी प्रावधानों से सार्वजनिक हित में उस खेल के संवर्धन हेतु छूट प्रदान कर सकती है।

महत्व

- **खेल शासन हेतु वैधानिक ढाँचा प्रदान करना**: अधिनियम खेल संस्थाओं के विनियमन हेतु कानूनी रूप से लागू ढाँचा स्थापित करता है, जिससे पूर्ववर्ती कार्यकारी दिशा-निर्देशों एवं खेल संहिताओं पर आधारित व्यवस्था को प्रतिस्थापित करता है।
- **पारदर्शिता एवं जवाबदेही को प्रोत्साहन**: पारदर्शी चुनाव, वित्तीय लेखा-परीक्षण, नैतिक मानक एवं जवाबदेही तंत्र लागू कर भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन को कम करता है।
- **पेशेवर एवं लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहन**: कार्यकाल सीमा, विश्राम अवधि एवं पेशेवरों की भागीदारी जैसी व्यवस्थाएँ शक्ति के केंद्रीकरण को कम करती हैं तथा संस्थागत दक्षता को बढ़ाती हैं।
- **खिलाड़ी प्रतिनिधित्व एवं कल्याण को सुदृढ़ करना**: अधिनियम निर्णय लेने वाली संस्थाओं में खिलाड़ियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है तथा शिकायत निवारण एवं कल्याण तंत्र को सुदृढ़ बनाता है।
- **विवाद समाधान एवं नियामक निगरानी में सुधार करना**: विशेष संस्थाएँ एवं नियामक तंत्र चयन, शासन एवं अनुशासन संबंधी विवादों के त्वरित निपटान में सहायक होते हैं।
- **भारत की वैश्विक खेल महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देना**: अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल शासन स्थापित कर यह अधिनियम भारत के खेल प्रदर्शन, वैश्विक विश्वसनीयता एवं प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की तैयारी को सुदृढ़ करता है।

Source: PIB

क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक

संदर्भ

- ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के विदेश मंत्रियों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में 11वीं क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की।

प्रमुख विशेषताएँ

- **इंडो-पैसिफिक समुद्री निगरानी सहयोग (IPMSC) पहल**: क्वाड साझेदारों ने प्रथम बार इस पहल की शुरुआत की।
  - इसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र जागरूकता एवं सूचना साझाकरण को बढ़ाना है।
  - प्रारंभिक ध्यान हिंद महासागर क्षेत्र पर होगा, जिसके अंतर्गत निगरानी सहयोग, विशेषज्ञ आदान-प्रदान एवं टेबलटॉप अभ्यास शामिल होंगे।
- **इंडो-पैसिफिक साझेदारी (IPMDA) का विस्तार**: चारों देशों ने इस पहल का विस्तार किया और एक व्यापक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर (COP) विकसित करने की योजना की घोषणा की, जिससे क्षेत्र में वास्तविक समय में समुद्री सूचना साझाकरण को बेहतर बनाया जा सके।
- **आतंकवाद-रोधी सहयोग**: ऑस्ट्रेलिया जून 2026 में क्वाड आतंकवाद-रोधी टेबलटॉप अभ्यास की मेजबानी करेगा, जिसमें राज्य-प्रायोजित आतंकवाद खतरों, मानव रहित हवाई वाहनों एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **महत्त्वपूर्ण खनिज**: क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य समन्वित निवेश, खनन, प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण सहयोग के माध्यम से लचीली और विविधीकृत आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करना है।

- **ऊर्जा लचीलापन**: क्वाड इंडो-पैसिफिक ऊर्जा सुरक्षा पहल ऊर्जा प्रौद्योगिकी, नीति, बाज़ार विश्लेषण एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों में सहयोग पर केंद्रित होगी।
- **बुनियादी ढाँचा सहयोग**: क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप पहल के अंतर्गत हुई चर्चाओं के पश्चात, फिजी सरकार के साथ बंदरगाह अवसंरचना विकास पर कार्य करने की योजना की घोषणा की गई।
- **AI-ENGAGE पहल**: क्वाड साझेदारों ने छह अंतरराष्ट्रीय शोध परियोजनाओं हेतु 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की निधि की घोषणा की। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स एवं सेंसरिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर फसल उत्पादन, कीट प्रबंधन एवं खाद्य सुरक्षा में सुधार करना है।
- **क्वाड-एट-सी शिप ऑब्ज़र्वर मिशन**: भारत आगामी मिशन की मेजबानी करेगा, जिसका उद्देश्य अवैध समुद्री गतिविधियों से निपटने में अंतरसंचालनीयता एवं समन्वय को सुदृढ़ करना है।

चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद (QUAD)

- यह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान का एक अनौपचारिक बहुपक्षीय समूह है, जिसका उद्देश्य मुक्त एवं खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग करना है।
- **उत्पत्ति**: क्वाड की शुरुआत 2004 के हिंद महासागर सुनामी के पश्चात एक अनौपचारिक साझेदारी के रूप में हुई, जब चारों देशों ने प्रभावित क्षेत्र में मानवीय एवं आपदा सहायता प्रदान की।
  - इसे 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने औपचारिक रूप दिया, किंतु बाद में यह निष्क्रिय हो गया।
- एक दशक पश्चात 2017 में इसे पुनर्जीवित किया गया, जो क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति बदलते दृष्टिकोण को दर्शाता है।

क्वाड का सामरिक महत्व

- **एक्ट ईस्ट नीति**: भारत की क्वाड में भागीदारी पूर्वी एशियाई देशों के साथ गहन सहयोग एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करती है।
- **सैन्य सहयोग**: यह मंच सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने एवं संयुक्त अभ्यासों के लिए अवसर प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा बनाए रखना एवं विधि का शासन सुनिश्चित करना है।
- **चीन के प्रभाव का संतुलन**: भारत के लिए क्वाड अपने समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण है।
- **नियम-आधारित बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन**: भारत ने नियम-आधारित बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन किया है और क्वाड उसकी क्षेत्रीय महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को साकार करने में सहायक हो सकता है।

Source: DD

डिजिटल युग में भारत के महत्त्वपूर्ण अवसंरचना तंत्र की सुरक्षा

संदर्भ

- भारत का महत्त्वपूर्ण अवसंरचना तंत्र तीव्रता से डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर निर्भर होता जा रहा है। इनसे दक्षता में वृद्धि हुई है, किंतु साथ ही साइबर हमलों एवं दूरस्थ व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ी है।

राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण अवसंरचना क्या है?

- **राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण अवसंरचना (CNI)** उन परिसंपत्तियों, प्रणालियों, नेटवर्कों एवं सेवाओं को संदर्भित करती है जिनका व्यवधान या विनाश राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, जनसुरक्षा एवं शासन पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।
- महत्त्वपूर्ण अवसंरचना में शामिल हैं:
  - विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण प्रणालियाँ।
  - तेल रिफ़ाइनरी, ईंधन पाइपलाइन एवं एलपीजी वितरण नेटवर्क।
  - रेलवे नेटवर्क, हवाई अड्डे एवं बंदरगाह।
  - बैंकिंग एवं भुगतान प्रणालियाँ।
  - दूरसंचार एवं इंटरनेट अवसंरचना।
  - जल आपूर्ति एवं स्वच्छता प्रणालियाँ।
  - स्वास्थ्य संस्थान एवं आपातकालीन सेवाएँ।
  - रक्षा प्रतिष्ठान एवं सामरिक परिसंपत्तियाँ।

महत्त्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा का महत्व

- **राष्ट्रीय सुरक्षा**: विद्युत ग्रिड, संचार प्रणाली या ईंधन आपूर्ति का व्यवधान रक्षा तैयारी एवं आंतरिक सुरक्षा को कमजोर कर सकता है।
- **आर्थिक स्थिरता**: महत्त्वपूर्ण अवसंरचना औद्योगिक उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग एवं व्यापार का आधार है। व्यवधान आर्थिक वृद्धि को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- **जनसुरक्षा एवं शासन**: स्वास्थ्य, परिवहन या जल आपूर्ति प्रणालियों का विघटन नागरिकों के जीवन एवं शासन तंत्र को प्रत्यक्षतः खतरे में डाल सकता है।
- **सामरिक संप्रभुता**: अविश्वसनीय प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता भारत को भू-राजनीतिक संघर्षों के दौरान सामरिक कमजोरियों के प्रति उजागर कर सकती है।

महत्त्वपूर्ण अवसंरचना का डिजिटल रूपांतरण

- **स्वचालन एवं IoT की भूमिका**: औद्योगिक प्रणालियाँ तीव्रता से स्वचालन एवं दूरस्थ निगरानी प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रही हैं।
  - IoT-सक्षम सेंसर दबाव, तापमान, ईंधन स्तर, यातायात गति एवं औद्योगिक संचालन संबंधी वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करते हैं।
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं भविष्यवाणी विश्लेषण दक्षता, रखरखाव एवं संसाधन प्रबंधन में सुधार करते हैं।
- **SCADA प्रणालियों का एकीकरण**: पूर्व में कई औद्योगिक प्रणालियाँ पृथक SCADA (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण) प्रणालियों पर संचालित होती थीं। अब ये इंटरनेट-आधारित प्लेटफ़ॉर्म से जुड़कर केंद्रीकृत नियंत्रण एवं भविष्यवाणी आधारित रखरखाव हेतु प्रयुक्त हो रही हैं।
- **IT–OT–IoT अभिसरण**: आधुनिक अवसंरचना तीन प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों की परस्पर क्रिया से संचालित होती है:
  - **सूचना प्रौद्योगिकी (IT)**: डेटा प्रसंस्करण, सॉफ़्टवेयर, संचार नेटवर्क एवं डिजिटल सेवाओं का प्रबंधन।
  - **संचालन प्रौद्योगिकी (OT)**: मशीनरी, औद्योगिक संयंत्र, परिवहन प्रणाली एवं विद्युत ग्रिड जैसे भौतिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण।
  - **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)**: भौतिक उपकरणों एवं सेंसरों को डिजिटल प्रणालियों से जोड़कर वास्तविक समय डेटा संग्रह एवं दूरस्थ संचालन सक्षम करना।

सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

- **साइबर हमलों का विस्तार**: इंटरनेट-सक्षम उपकरणों के बढ़ते उपयोग ने साइबर हमलों के अवसरों को बढ़ा दिया है। सेंसर, नियंत्रक एवं संचार प्रणालियों की कमजोरियाँ हमलावरों को महत्त्वपूर्ण अवसंरचना नेटवर्क तक पहुँच प्रदान कर सकती हैं।
- **आयातित उपकरणों से जोखिम**: कई IoT उपकरण विदेशी निर्माताओं से आयातित होते हैं, जिनमें छिपी कमजोरियाँ, अनधिकृत डेटा-साझाकरण तंत्र या दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर हो सकते हैं।
- **कमज़ोर खरीद प्रथाएँ**: सरकारी विभाग एवं सार्वजनिक उपक्रम प्रायः खरीद के दौरान टेम्पलेट-आधारित अनुपालन जाँच पर निर्भर रहते हैं। निविदा शर्तें हमेशा विश्वसनीय स्वदेशी प्रौद्योगिकियों या विस्तृत सुरक्षा ऑडिट पर बल नहीं देतीं।
- **अपर्याप्त सुरक्षा प्रमाणन**: कई IoT उपकरणों के लिए सुरक्षा प्रमाणन तंत्र समान रूप से लागू नहीं किए जाते।

वैश्विक घटनाएँ जो जोखिम दर्शाती हैं

- **कोलोनियल पाइपलाइन रैनसमवेयर हमला**: अमेरिका में इस हमले ने ईंधन आपूर्ति बाधित कर दी और दिखाया कि महत्त्वपूर्ण अवसंरचना पर साइबर हमले बड़े पैमाने पर आर्थिक एवं सामाजिक व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं।
- **गैस स्टेशन निगरानी प्रणालियों पर हमले**: हाल ही में अमेरिका के कई राज्यों में ऑटोमैटिक टैंक गेज (ATG) प्रणालियों पर साइबर घुसपैठ ने इंटरनेट-सक्षम ईंधन निगरानी अवसंरचना की कमजोरियों को उजागर किया।

भारत का महत्त्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षण तंत्र

- **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In)**: यह साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रति राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। यह चेतावनी, परामर्श एवं सुरक्षा दिशानिर्देश जारी करती है।

- **राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)**: ऊर्जा, बैंकिंग, दूरसंचार एवं परिवहन जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र**: बॉटनेट सफाई एवं मैलवेयर विश्लेषण केंद्र जो नेटवर्क की निगरानी करता है एवं नागरिकों एवं संगठनों को संक्रमित उपकरणों की सुरक्षित सफाई में सहायता करता है।
- **मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (STQC)**: यह इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल उपकरणों के लिए सुरक्षा परीक्षण एवं प्रमाणन करता है। हाल ही में इसने निगरानी कैमरों एवं संबंधित उपकरणों के परीक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया है।
- **केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)**: यह हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, परमाणु संयंत्रों, मेट्रो नेटवर्क, विद्युत संयंत्रों, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों एवं प्रमुख औद्योगिक परिसरों जैसी महत्त्वपूर्ण अवसंरचना स्थापनाओं को भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है।

आगे की राह

- **सुरक्षा प्रमाणन को सुदृढ़ करना**: भारत को महत्त्वपूर्ण अवसंरचना में प्रयुक्त सभी IoT उपकरणों हेतु अनिवार्य एवं कठोर प्रमाणन तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- **विश्वसनीय स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना**: सरकारी खरीद में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सुरक्षित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **निरंतर निगरानी एवं ऑडिटिंग**: महत्त्वपूर्ण अवसंरचना प्रणालियों का नियमित रूप से भेद्यता आकलन, पैठ परीक्षण एवं वास्तविक समय निगरानी किया जाना चाहिए।

Source: TH

रूपये के अवमूल्यन के कारण

संदर्भ

- भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तीव्रता से अवमूल्यित हुआ है। रुपये-डॉलर विनिमय दर 2025 में लगभग ₹85 प्रति डॉलर से बढ़कर 2026 में ₹96 प्रति डॉलर से अधिक हो गई है।

विनिमय दर क्या है?

- विनिमय दर किसी मुद्रा के मूल्य को दूसरी मुद्रा की तुलना में दर्शाती है। यह निर्धारित करती है कि एक इकाई विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए कितनी घरेलू मुद्रा की आवश्यकता होगी।
  - भारत में रुपये-डॉलर विनिमय दर यह बताती है कि एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए कितने रुपये चाहिए।
- विनिमय दरें मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में मुद्राओं की मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती हैं।

भारतीय रूपये का अवमूल्यन क्यों हो रहा है?

- **निरंतर व्यापार घाटा**: भारत आयात अधिक और निर्यात कम करता है, जिससे निरंतर माल व्यापार घाटा होता है।
  - भारतीय आयातक विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रुपये को डॉलर में बदलते हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है।
- **कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि**: भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है। वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि भारत के आयात बिल को बढ़ा देती है।
  - अधिक तेल आयात से डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये पर दबाव पड़ता है।
- **चालू खाते का घाटा (CAD)**: आयात निर्यात से अधिक होने के कारण भारत निरंतर चालू खाते का घाटा दर्ज करता है।
  - यद्यपि भारत सॉफ़्टवेयर निर्यात और प्रेषण से विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, लेकिन ये प्रवाह प्रायः व्यापार घाटे के अन्तर को समाप्त नहीं कर पाते।
- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) का बहिर्गमन**: विदेशी निवेशक शेयरों और बॉन्ड में निवेश करते हैं।
  - वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर FPI अत्यधिक अस्थिर रहता है और निवेशक जल्दी धन स्थानांतरित कर लेते हैं।

- **अमेरिका में बढ़ती ब्याज दरें**: अमेरिका में उच्च ब्याज दरें वैश्विक निवेशकों को अमेरिकी वित्तीय परिसंपत्तियों की ओर आकर्षित करती हैं।
    - निवेशक भारत जैसे उभरते बाज़ारों से धन निकालकर सुरक्षित अमेरिकी परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। इससे भारत से पूंजी बहिर्गमन होता है और रुपये पर दबाव बढ़ता है।
- **वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता**: भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में अनिश्चितता बढ़ाते हैं। अस्थिरता के समय निवेशक अमेरिकी डॉलर जैसे सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे डॉलर मज़बूत होता है।

अवमूल्यित रुपये का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- **मुद्रास्फीति दबाव में वृद्धि**: आयात लागत बढ़ने से ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की घरेलू कीमतें बढ़ती हैं। इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत भी बढ़ती है तथा आयातित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।
- **बाहरी ऋण भार में वृद्धि**: डॉलर में ऋण लेने वाली भारतीय कंपनियों को रुपये के अवमूल्यन के पश्चात अधिक रुपये चुकाने पड़ते हैं। इससे ऋण सेवा लागत बढ़ती है और कॉर्पोरेट लाभप्रदता प्रभावित होती है।
- **वित्तीय बाज़ार अस्थिरता**: बड़े पैमाने पर FPI बहिर्गमन से शेयर बाज़ार में गिरावट और वित्तीय अस्थिरता होती है, जिससे निवेशकों का विश्वास कमजोर होता है।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता**: कमजोर रुपया भारतीय वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में सस्ता बनाता है। विदेशी खरीदार कम डॉलर कीमत पर भारतीय उत्पाद खरीद सकते हैं। किंतु भारत के मामले में यह लाभ सीमित रहता है क्योंकि आयात पर उच्च निर्भरता है।

रुपये को स्थिर करने में RBI की भूमिका

- **विदेशी मुद्रा बाज़ार परिचालन**: RBI स्पॉट और फ़ॉरवर्ड दोनों बाज़ारों में हस्तक्षेप करता है। जब अचानक पूंजी बहिर्गमन से रुपया तीव्रता से अवमूल्यित होता है, तो RBI अमेरिकी डॉलर बेचकर अतिरिक्त मांग को अवशोषित करता है और भारी प्रवाह के समय डॉलर खरीदता है।
- **मौद्रिक उपाय**: RBI ब्याज दर और मौद्रिक नीति उपायों का उपयोग विनिमय दर स्थिरता बनाए रखने के लिए करता है।
- उच्च ब्याज दरें विदेशी पूंजी प्रवाह आकर्षित करती हैं और रुपये की मांग को समर्थन देती हैं।
- RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है और मौद्रिक नीति उपायों के माध्यम से निवेशकों का विश्वास बनाए रखता है।
- **तरलता उपाय**: RBI बैंकिंग प्रणाली में तरलता की स्थिति का प्रबंधन करता है ताकि वित्तीय बाज़ारों में अत्यधिक अस्थिरता कम हो।
    - RBI नकद आरक्षित अनुपात (CRR), सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) और तरलता समायोजन सुविधा (LAF) जैसे साधनों के माध्यम से तरलता का प्रवाह नियंत्रित करता है।

आगे की राह

- **तेल पर निर्भरता कम करना**: भारत को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना चाहिए और विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देना चाहिए।
- **पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना**: RBI को बाहरी आघातों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु सुदृढ़ विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना चाहिए।
- **सामान्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना**: भारत को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना चाहिए, मुद्रास्फीति को मध्यम रखना चाहिए और स्थिर आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि निवेशकों का विश्वास सुदृढ़ हो।

Source: TH

सरकार द्वारा जनांकिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने हेतु समिति का गठन

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने जनांकिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर करेंगे।

समिति के उद्देश्य

- **जनांकिकीय परिवर्तनों का आकलन**: समिति भारत में हो रहे जनांकिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी, असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी तथा धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के स्तर पर परिवर्तनों का विश्लेषण करेगी।
- **कारणों की पहचान**: समिति जनांकिकीय परिवर्तनों के संभावित कारणों की जाँच करेगी, जिनमें शामिल हैं:
    - अवैध सीमा-पार प्रवासन।
    - असामान्य बसावट पैटर्न।
    - योजनाबद्ध प्रवासन।
    - आर्थिक अवसरों से आकर्षित प्रवासन।
    - सामाजिक-पर्यावरणीय कारक।
- **जनसंख्या स्थिरीकरण**: समिति जनसंख्या स्थिरीकरण एवं दीर्घकालिक जनांकिकीय निगरानी हेतु संस्थागत तंत्र की अनुशंसा करेगी।
- **अवैध प्रवासन प्रबंधन**: समिति अवैध प्रवासियों की पहचान, निरोध प्रक्रियाएँ एवं निर्वासन तंत्र हेतु सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध व्यवस्था की अनुशंसा करेगी।
- **सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करना**: समिति बेहतर निगरानी प्रणाली, उन्नत पहचान तंत्र एवं एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाकर सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाएगी।

भारत में जनांकिकीय प्रवृत्तियाँ

- **प्रजनन दर में गिरावट**: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) लगभग 2.0 तक घट गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है।
    - यह इंगित करता है कि भारत राष्ट्रीय स्तर पर धीरे-धीरे जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर बढ़ रहा है।
- **जन्म दर में गिरावट**: नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जन्म दर 2014 में प्रति 1,000 जनसंख्या पर 21 से घटकर 2024 में 18.3 हो गई।
    - यह गिरावट बदलते जनांकिकीय पैटर्न, शहरीकरण में वृद्धि, साक्षरता में सुधार एवं स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तक बेहतर पहुँच को दर्शाती है।

सीमा-संबंधी जनांकिकीय चुनौतियाँ

- **भारत–बांग्लादेश सीमा**: भारत पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम में बांग्लादेश के साथ 4,096 किमी लंबी सीमा साझा करता है।
    - असम आंदोलन (1979-1985) अवैध प्रवासियों के विरुद्ध एक लोकप्रिय आंदोलन था, जिसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) एवं ऑल असम गणा संग्राम परिषद (AAGSP) ने किया।
- **भारत–म्यांमार सीमा**: भारत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिज़ोरम में म्यांमार के साथ 1,643 किमी लंबी सीमा साझा करता है।
    - 2021 में म्यांमार की सैन्य तख्तापलट के पश्चात राजनीतिक अस्थिरता के कारण चिन शरणार्थियों एवं रोहिंग्या प्रवासियों का मणिपुर एवं मिज़ोरम में आगमन बढ़ा।
- **भारत–पाकिस्तान सीमा**: भारत पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी लंबी सीमा साझा करता है।
    - जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान से सीमा-पार घुसपैठ लंबे समय से आतंकवाद, उग्रवाद एवं आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जुड़ी रही है।

जनांकिकीय परिवर्तन संबंधी चिंताएँ

- **राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता**: अवैध प्रवासन घुसपैठ, संगठित अपराध एवं सीमा अस्थिरता के जोखिम बढ़ाकर सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है।
- **सामाजिक सद्भाव**: धर्म, जातीयता या भाषा से जुड़े जनांकिकीय परिवर्तन सामाजिक तनाव, पहचान राजनीति एवं भूमि एवं रोजगार पर संघर्ष बढ़ा सकते हैं।
    - मणिपुर में कुकी एवं मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा भूमि, पहचान एवं जनांकिकीय चिंताओं पर आधारित तनाव को उजागर करती है।
- **संसाधन वितरण**: बड़े पैमाने पर प्रवासन आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण योजनाओं एवं रोजगार अवसरों पर दबाव बढ़ा सकता है।
    - असम एवं त्रिपुरा के सीमा जिलों में अवैध प्रवासन के कारण भूमि अतिक्रमण, रोजगारों में प्रतिस्पर्धा एवं सार्वजनिक संसाधनों पर दबाव की चिंताएँ देखी गई हैं।

- **स्वदेशी एवं जनजातीय समुदायों का संरक्षण**: विशेषकर उत्तर-पूर्व क्षेत्र में स्वदेशी एवं जनजातीय समुदाय सांस्कृतिक पहचान, भूमि अधिकार एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व समाप्त होने की आशंका व्यक्त करते हैं।

चुनौतियाँ

- **अद्यतन जनगणना डेटा का अभाव**: भारत में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी, जबकि आगामी जनगणना 2027 में निर्धारित है। अद्यतन डेटा का अभाव जनांकिकीय आकलन एवं नीतिनिर्माण की सटीकता को प्रभावित कर सकता है।
- **मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ**: भेदभाव, सामाजिक ध्रुवीकरण एवं गलत बहिष्करण की संभावना को लेकर चिंताएँ हैं।
- **संघीय एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ**: विभिन्न राज्यों में प्रवासन-संबंधी मुद्दों पर राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक प्रतिक्रियाएँ भिन्न हो सकती हैं।
- **सीमा प्रबंधन चुनौतियाँ**: भारत पड़ोसी देशों के साथ लंबी एवं छिद्रपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ साझा करता है। प्रभावी सीमा प्रबंधन हेतु उन्नत निगरानी तकनीक, अवसंरचना विकास एवं बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय आवश्यक है।

आगे की राह

- **सीमा अवसंरचना सुदृढ़ करना**: भारत को सीमा पर बाड़, निगरानी प्रणाली एवं तकनीकी निगरानी तंत्र में सुधार करना चाहिए ताकि अवैध घुसपैठ रोकी जा सके।
- **समय पर जनगणना करना**: सरकार को समय पर जनगणना सुनिश्चित करनी चाहिए एवं सिविल पंजीकरण प्रणालियों को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि साक्ष्य-आधारित नीतिनिर्माण संभव हो।
- **संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करना**: पहचान या निर्वासन से संबंधित कोई भी कार्रवाई विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करे एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे।
- **समावेशी जनसंख्या नीतियाँ**: जनसंख्या स्थिरीकरण उपायों को महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, जागरूकता कार्यक्रम एवं स्वैच्छिक परिवार नियोजन उपायों पर केंद्रित होना चाहिए। बाध्यकारी जनसंख्या नियंत्रण उपायों से बचना चाहिए।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

अल्गोज़ा (Algoza)

संदर्भ

- जैसलमेर के टागा राम भील को पारंपरिक राजस्थानी लोक संगीत को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने हेतु प्राचीन वाद्ययंत्र अल्गोज़ा के माध्यम से योगदान के लिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया।

अल्गोज़ा क्या है?

- अल्गोज़ा राजस्थान, पंजाब, सिंध तथा पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से जुड़ा पारंपरिक लोक वाद्ययंत्र है।
- इसमें दो लकड़ी की बांसुरियाँ होती हैं जिन्हें एक साथ बजाया जाता है — एक धुन उत्पन्न करती है जबकि दूसरी ताल का आधार प्रदान करती है।
- इसकी विशिष्टता सर्कुलर ब्रीदिंग तकनीक में है, जो एक कठिन विधि है और कलाकारों को बिना साँस रोके निरंतर संगीत प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है।
- इसे प्रायः थार मरुस्थल के लोक संगीत की आत्मा कहा जाता है। पारंपरिक रूप से इसे उत्सवों, विवाहों, कथा-गोष्ठियों एवं धार्मिक आयोजनों में बजाया जाता रहा है।

स्रोत: News18

खजुराहो में 25-दिवसीय योग दिवस काउंटडाउन

समाचार में

- विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (IDY) 2026 के लिए 25-दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

समाचार के बारे में

- IDY के लिए 25-दिवसीय काउंटडाउन प्रत्येक वर्ष जागरूकता निर्माण एवं जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु मनाया जाता है।
- इसमें योग प्रदर्शन, जागरूकता अभियान एवं सामुदायिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (IDY)

- भारत के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने दिसंबर 2014 में 69वें सत्र के दौरान पारित प्रस्ताव में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया।
- प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 में नई दिल्ली में मनाया गया।
- 21 जून की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति होती है और विश्व के कई हिस्सों में इसका विशेष महत्व है।

खजुराहो के बारे में

- खजुराहो समूह स्मारक, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है, को 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया।
- ये मंदिर अपनी नागर-शैली की स्थापत्य प्रतीकात्मकता और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- **ऐतिहासिक अभिलेख:**
  - अधिकांश खजुराहो मंदिर 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश द्वारा निर्मित किए गए।
  - ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि खजुराहो मंदिर परिसर में कभी 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 85 मंदिर फैले हुए थे।
  - वर्तमान में केवल लगभग 25 मंदिर शेष हैं, जो 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं।

स्रोत: PIB

पूर्ण न्याय: अनुच्छेद 142

संदर्भ

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि सड़क दुर्घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा एवं राजमार्गों पर सुरक्षित आवागमन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
  - न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी निहित शक्ति का प्रयोग किया, जो पूर्ण न्याय की बात करता है।

अनुच्छेद 142 क्या है?

- अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने हेतु आवश्यक आदेश या डिक्री पारित करने का अधिकार देता है।
- ऐसे आदेश या डिक्री पूरे भारत में लागू होते हैं।

महत्व

- यह सर्वोच्च न्यायालय को कुछ परिस्थितियों में कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है, जैसे सरकार या अन्य प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश जारी करना।
- यह सर्वोच्च न्यायालय को जनहित, मानवाधिकार, संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है।
- यह सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को संविधान का संरक्षक एवं विधि का अंतिम निर्णायक के रूप में सुदृढ़ करता है।
- **आलोचना**: यह शक्ति शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकती है और न्यायिक अतिक्रमण या सक्रियता की आलोचना आमंत्रित कर सकती है।

अनुच्छेद 142 से संबंधित महत्त्वपूर्ण मामले

- **भोपाल गैस त्रासदी मामला (1989)**: पीड़ितों के लिए मुआवज़ा निपटान अनुच्छेद 142 की शक्तियों से संभव हुआ।
- **कोयला ब्लॉक आवंटन मामला (2014)**: सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध आवंटन रद्द कर जवाबदेही सुनिश्चित की।
- **तलाक एवं वैवाहिक मामले**: न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग कर अपूरणीय रूप से विच्छेदित विवाहों को समाप्त किया एवं लंबे विवादों का निपटारा किया।

स्रोत: TH

अब्राहम समझौते

संदर्भ

- पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि वे पाकिस्तान द्वारा अब्राहम समझौते में शामिल होकर इज़राइल के साथ संबंध सामान्य करने के पक्ष में नहीं हैं।

अब्राहम समझौते के बारे में

- अब्राहम समझौते 2020 में इज़राइल और कई अरब देशों के बीच हस्ताक्षरित सामान्यीकरण समझौते हैं, जिन्हें अमेरिका ने ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत मध्यस्थता कर संपन्न कराया।
- दशकों तक अधिकांश अरब देशों ने तब तक इज़राइल को मान्यता देने से मना किया जब तक फिलिस्तीन मुद्दा हल नहीं हो जाता।
- अब्राहम समझौते ने मध्य पूर्व की कूटनीति में बड़ा बदलाव किया, क्योंकि इन्होंने इज़राइल और कुछ अरब देशों के बीच बिना इज़राइल–फिलिस्तीन विवाद सुलझाए खुले संबंध स्थापित किए।
- 2020 में यूएई इज़राइल के साथ संबंध सामान्य करने वाला प्रथम खाड़ी देश बना।
- शामिल देश: अमेरिका, इज़राइल, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को और कज़ाख़स्तान।

मुख्य उद्देश्य

- राजनयिक संबंधों का सामान्यीकरण (दूतावास, सीधी उड़ानें, व्यापार, पर्यटन एवं प्रौद्योगिकी सहयोग)।
- सुरक्षा एवं खुफिया सहयोग, विशेषकर ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव के विरुद्ध।
- नवाचार, कृषि, रक्षा एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग।
- अब्राहम के नाम पर अंतरधार्मिक समझ को बढ़ावा देना, जिन्हें यहूदी धर्म, ईसाई धर्म एवं इस्लाम में पूजनीय माना जाता है।

महत्व

- दशकों की शत्रुता के पश्चात अरब–इज़राइल संबंधों में प्रगति का संकेत।
- इज़राइल की क्षेत्रीय अलगाव स्थिति कम हुई और अरब जगत में उसका राजनयिक विस्तार हुआ।
- मध्य पूर्व में अमेरिका का सामरिक प्रभाव सुदृढ़ हुआ।
- क्षेत्र में नए आर्थिक एवं तकनीकी साझेदारी का निर्माण हुआ।

स्रोत: TH

भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ (IACS) की 150वीं वर्षगांठ

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ (IACS) की 150वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया।

IACS के बारे में

- IACS की स्थापना 1876 में डॉ. महेंद्रलाल सरकार द्वारा की गई थी। यह भारत के महान वैज्ञानिक मस्तिष्कों का केंद्र बना, जिनमें जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ साहा, सत्येंद्र नाथ बोस और सर सी. वी. रमन शामिल हैं।
    - प्रोफेसर सी. वी. रमन ने 1907 से 1933 तक IACS में कार्य किया, जहाँ उन्होंने 1928 में प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज की।
    - इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वे विज्ञान की किसी भी शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई बने।

रमन प्रभाव

- रमन प्रभाव वह घटना है जिसमें प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरते समय बिखर जाता है, जिससे उसकी तरंगदैर्ध्य एवं ऊर्जा में परिवर्तन होता है।
- प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि रमन प्रभाव की खोज का स्मरण किया जा सके।

स्रोत: PIB

NEXT IAS